

172

- 1 -

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. 258-2-17

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार :- श्री सोने सिंह परस्ते पिता श्री प्रेमलाल परस्ते
निवासी मकान नं. 83 वार्ड क्रं. 10, जुनवानी, तहसील व जिला
जबलपुर।

विरुद्ध

अनोवदक :- 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री मिथलेश कुमार पाठक पिता श्री उमाशंकर पाठक
निवासी 23, वार्ड नं. 5, शारदानगर, रिछाई, तहसील व जिला
जबलपुर।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 33/अ-21/2016-17 में पारित
अंतरिम आदेश दि. 21/11/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री सोने सिंह परस्ते पिता श्री प्रेमलाल परस्ते
निवासी मकान नं. 83 वार्ड क्रं. 10, जुनवानी तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम रिछाई
प.ह.नं. 93 रा.निं.मं. पनागर, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 328
रकवा 0.100हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी मिथलेश कुमार पाठक पिता श्री
उमाशंकर पाठक निवासी 23, वार्ड नं. 5, शारदानगर, रिछाई, तहसील व जिला जबलपुर को
विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10/11/2016 (Annexure-
2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष
प्रस्तुत किया गया था।

3- आवेदक भूमि विक्रय कर प्राप्त होने वाली राशि से शेष बच रही भूमि के समुचित विकास
जल हेतु नलकूप, खेतों की पक्की बाड़ी कराने एवं कृषि उपकरण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ट्राली
आदि खरीदने एवं कर्ज अदायगी हेतु, बच्चों की शिक्षा एवं परिवार के मकान निर्माण कराने

P.K.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 58-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदक सोनेसिंह परस्ते द्वारा ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 328 रकबा 0.100 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक की स्व-अर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक</p>	

(Signature)

(Signature)

स्थान तथा
दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि के
हस्ताक्षर


आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम जुनवानी में 2.900 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 328 रकबा 0.100 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।
- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।


(एम0के0 सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग. 58-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	नार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25-1-17 में आदेश के पृष्ठ-1 के पैरा-2 की तीसरी लाइन में त्रुटिवश रा. नि.मं. खम्हरिया के स्थान पर पनागर अंकित हो गया है, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । उपरिस्थित शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में दिनांक 25-1-17 को पारित में आदेश के पृष्ठ-1 के पैरा-2 की तीसरी लाइन में रा.नि.मं. पनागर के स्थान पर रा.नि.मं. खम्हरिया पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा ।</p>	<p> सदस्य</p>